क्षेत्रीय कार्यालय (केरल)
REGIONAL OFFICE (KERALA)
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
क.रा.बी. नि/ESIC EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
चिंता से मुक्ति पंचदीप भवन, उत्तरी स्वराज रांउड-तृश्शूर-680 020
Chinta Se Mukti PANCHDEEP BHAVAN,NORTH SWARAJ ROUND,THRISSUR-680020
दूरभाष/Tel # 0487 – 2331080/2331437 फैक्स/Fax # 0487 – 2338441 ,ई-मेल/Email: rd-kerala@esic.in
[आईएसओ/ISO 9001:2008(क्यूएस प्रमाणित/QS Certified]

सं.54-सी.12/11/1/2008-प्रशा. दिनांक : 02.04.2014

ज्ञापन

कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण,प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत आदेश

भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न(निवारण,प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 9 दिसंबर 2013 की तारीख को उक्त अधिनियम में किए गए प्रावधानों को लागू करने हेतु अधिसूचित किए जाने और तदनंतर महानिदेशक , कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा पत्र संख्या ए-12/18/1/नीति/14 एससीटी दिनांक 13.03.2014 के माध्यम से उक्त अधिनियम के सख्त एवं सम्यक अनुपालन हेतु दिए गए आदेशों के मद्देनज़र उक्त अधिनियम की धारा 4(1) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग कर रहे क्षेत्रीय निदेशक ने क्षेत्रीय कार्यालय तृश्शूर के अधीन सभी शाखा कार्यालय,निरीक्षण कार्यालय,राज्य चिकित्सा आयुक्त कार्यालय,तृश्शूर तथा क्षेत्रीय कार्यालय,तृश्शूर के लिए निम्नानुसार आंतरिक शिकायत समिति (**इंटर्नल कंप्लेंट्स कमिटी**) का गठन किया है :-

1. श्रीमती मेरी कुरीयन,निजी सचिव,क्षेत्रीय कार्यालय,तृश्शूर	पीठासीन अधिकारी
2. श्रीमती पी.वी.लता,अधीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय,तृश्शूर	सदस्य
3. श्री टी.सलिल,सहायक निदेशक(वित्त), क्षेत्रीय कार्यालय,तृश्शूर	सदस्य
4. श्रीमती सीना राजगोपाल,अधिवक्ता	बाह्य सदस्य

पीठासीन अधिकारी सहित आंतरिक समिति के सभी सदस्य अगले आदेश अथवा उनके मनोनयन की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि तक (जो भी पहले हो) उक्त पद पर बने रहेंगे।

गैर-सरकारी संगठनों से नियुक्त सदस्य, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण,प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 के नियम 3 के तहत आंतरिक समिति की कार्यवाहियों के आयोजन के लिए प्रतिदिन (200/-) दो सौ रुपए के भत्ते के हकदार होंगे, और उक्त सदस्य रेलगाड़ी से थ्री-टीयर वातानुकूलन या वातानुकूलित बस से तथा ऑटोरिक्शा या टैक्सी से अथवा यात्रा पर उसके द्वारा खर्च की गई वास्तविक राशि,जो भी कम हो,प्रतिपूर्ति के भी हकदार होंगे ।

उक्त अधिनियम की धारा 17 के उपबंधों तथा नियम 12 के अधीन, यदि कोई व्यक्ति धारा 16 के उपबंधों की अवहेलना/उल्लंघन करता है तो उससे दण्ड स्वरूप पांच हजार रुपए की राशि की वसूली की जाएगी।

आंतरिक शिकायत समिति द्वारा प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के दौरान उक्त अधिनियम की धारा 21 तथा नियम 14 के अंतर्गत एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी,जिनमें निम्न ब्यौरे शामिल किए जाएंगे :- -

(क) वर्ष के दौरान प्राप्त लैंगिक उत्पीड़न के शिकायतों की संख्या;

(ख) वर्ष के दौरान निपटाए गए शिकायतों की संख्या;

(ग) ऐसे मामलों की संख्या जो नब्बे(90) दिन से अधिक अवधि तक लंबित हैं;

(घ) लैंगिक उत्पीड़न के विरोध में आयोजित किए गए जागरुकता कार्यक्रमों की संख्या;

(ड) नियोक्ता द्वारा की गई कार्रवाई का स्वरूप ।

ह./-

(टी.एम.जोसफ)

<u>क्षेत्रीय निदेशक</u>

सेवा में,

1. पीठासीन अधिकारी तथा आंतरिक शिकायत समिति के सदस्य ।
2. महानिदेशक,कर्मचारी राज्य बीमा निगम,नई दिल्ली ।
3. सीना राजगोपाल,अधिवक्ता एवं बाह्य सदस्य को सूचनार्थ ।
4. क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत सभी शाखा प्रबंधक/सामाजिक सुरक्षा अधिकारी(एस.एस.ओ.) ।
5. राज्य चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम,तृश्शूर ।
6. चिकित्सा निर्देशी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम,तृश्शूर ।
7. सभी शाखाधिकारी / शाखाएं,क्षेत्रीय कार्यालय,तृश्शूर ।
8. वेबसाइट सामग्री प्रबंधक,मुख्यालय को इसे क.रा.बी. निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. नोटिस बोर्ड,क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम,तृश्शूर ।
10. गार्ड फाइल ।

(के.विजयन)

<u>उपनिदेशक(प्रशासन)</u>